मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2475

04.08.2025 को उत्तर के लिए

प्रदूषण से कमजोर वर्गों की सुरक्षा

2475. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में पारित पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन श्रेणी ख और ग क्षेत्रों के ताप विद्युत संयंत्रों को अनिवार्य SO2 उत्सर्जन नियंत्रण से छूट देता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ग्रामीण, जनजातीय और गैर-शहरी आबादी को शहरी क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रदूषण संरक्षण से बाहर रखने को किस प्रकार उचित ठहराती है;

(घ) क्या सरकार इस नीति को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और वायु गुणवत्ता सुरक्षा उपायों से वंचित कमजोर वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण मानती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो स्थान की परवाह किए बिना सभी के लिए समान पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने और छूट प्राप्त क्षेत्रों में SO2 से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से कोयला/लिग्नाइट-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है। दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित SO2 उत्सर्जन मानकों की केंद्र सरकार द्वारा समय-सीमा में छूट या रियायत के संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई है। इसके अलावा, इन मानकों की प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इनकी भूमिका के संबंध में अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों पर भी विचार किया गया ताकि इन मानकों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता और प्रवर्तन की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा सके। मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद, मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित SO2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता के संबंध में दिनांक 11.07.2025 की सा.का.नि. 465 (अ) के माध्यम से अधिसूचना जारी की है। तदनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा SO2 उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की प्रयोज्यता और समय-सीमा इस प्रकार है:

श्रेणी	**SO2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता**	**अनुसरण के लिए समय-सीमाएँ**
श्रेणी क (एनसीआर या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित संयंत्र)	अनिवार्य	31.12.2027
श्रेणी ख (मानक प्राप्त न करने वाले शहरों या गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किमी के दायरे में संयंत्र)	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ताप परियोजनाएं) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा मामले दर मामले आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी ताप विद्युत परियोजना को SO2 उत्सर्जन मानकों से छूट देने पर विचार किया जाता है, तो ऐसे ताप विद्युत परियोजना को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) दिनांक 30.08.1990 के अनुसार स्टैक की ऊंचाई सुनिश्चित करनी होगी।	31.12.2028
श्रेणी ग (श्रेणी क और ख में शामिल लोगों के अलावा)	अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) दिनांक 30.08.1990 के अनुसार स्टैक की ऊंचाई को पूरा करने की शर्त के अधीन लागू नहीं।	31.12.2029

(ग) से (ङ): ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में SO2 उत्सर्जन मानकों की श्रेणीवार प्रयोज्यता का निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनों और टीपीपी के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित देश भर में परिवेशी SO2 सांद्रता के विश्लेषण के आधार पर लिया गया है। यह दृष्टिकोण घनी आबादी वाले और अन्य वायु प्रदूषण-संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए एहतियाती सिद्धांत लागू करता है। दिनांक 11.07.2025 की अधिसूचना जारी करते समय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय स्थिरता और SO2 उत्सर्जन मानदंडों को प्राप्त करने में पर्यावरणीय लाभ/हानि पर आधारित है।

यह दृष्टिकोण जल, सहायक ऊर्जा और चूना पत्थर की अतिरिक्त खपत से बचकर संसाधन संरक्षण को प्रदर्शित करता है; यह लागू नियंत्रण उपायों के संचालन के परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट/CO2 उत्सर्जन में वृद्धि, साथ ही इन उपायों के लिए आवश्यक चूना पत्थर के खनन और परिवहन पर भी विचार करता है। इसके अलावा, यह सभी कोयला/लिग्नाइट-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में ऐसे

नियंत्रण उपायों को लागू करने की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखता है। इसके अतिरिक्त, घनी आबादी वाले और वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील अन्य क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण के लिए एहतियाती सिद्धांत लागू किया गया है, साथ ही बिजली की कीमतों में संभावित वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को भी ध्यान में रखा गया है।

टीपीपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है, अन्यथा निर्धारित समय सीमा के बाद परिचालन न करने वाली टीपीपी इकाइयों पर निर्धारित दरों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी। उन सभी मामलों में जहां SO2 उत्सर्जन मानक लागू नहीं किए जा रहे हैं, टीपीपी, स्थान की परवाह किए बिना, अधिसूचना संख्या जीएसआर 742 (ई) दिनांक 30.08.1990 द्वारा अधिसूचित स्टैक ऊंचाई मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

*****